सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 362 राँची, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

संकल्प

29 अगस्त, 2022

ज्ञापांकः-03/छात्रवृत्ति(प्री मैट्रिक)-02/2022 -2583--

विषयः-झारखण्ड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रछात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन के संबंध में।

1. अधिसूचना निर्गम की तिथि से झारखण्ड राज्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 प्रवृत्त होगी ।

2. **पृष्ठभूमिः-**

झारखण्ड राज्य गठन से पूर्व एवं झारखण्ड राज्य के गठन के बाद भी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति विषयक नियमावली का गठन नहीं हो सका है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन समय-समय पर निर्गत मार्ग-निर्देश के माध्यम से किया जा रहा है। नियमावली नहीं रहने के कारण प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में कई बार कठिनाई का अनुभव किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राएँ में बहुत छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित भी रह जाते हैं। समग्रता से इस पर विचार करते हुए प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन, उनके आवेदन की सरल प्रक्रिया तथा भुगतान में सरलता एवं पारदर्शिता लाने के लिए तथा योजना के स्वरूप में बदलाव होने के फलस्वरूप प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 की गठन की आवश्यकता महसूस की गयी है ।

3. **उद्देश्यः-**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की प्री-मैट्रिक शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने एवं कक्षा-1 से 10 के बीच छीजन या ड्रॉप ऑउट को रोकने के उद्देश्य से तथा योजना के स्वरूप में बदलाव होने के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 एवं झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 का गठन किया जाता है ।

4. **क्षेत्राधिकारः-**

इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में आवस्थित राज्य सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

5. **योजना का स्वरूपः-**

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन में भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा प्री-मैट्रिक संवर्ग में कक्षा 9 से 10 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके लिए उनकी नियमावली गठित है। अतः कक्षा-9 एवं 10 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से एक अलग बजट शीर्ष रखा गया है ताकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए छात्रवृत्ति भुगतान का आकलन एवं अनुश्रवण किया जा सके ।

अतः तद्नुरूप प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है:-

5.1. **अनुसूचित जनजाति-**

i कक्षा 1 से 8 तक

क कक्षा 1 से 5 तक

ख कक्षा 6 से 8 तक

ii कक्षा 9 से 10 तक

5.2. **अनुसूचित जाति-**

i कक्षा 1 से 8 तक

क कक्षा 1 से 5 तक

ख कक्षा 6 से 8 तक

ii कक्षा 9 से 10 तक

5.3. **पिछड़ा वर्ग-**

i कक्षा 1 से 8 तक

क कक्षा 1 से 5 तक

ख कक्षा 6 से 8 तक

ii कक्षा 9 से 10 तक

6. **ई-कल्याण पोर्टल-**

6.1. विभाग द्वारा संचालित ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से आवेदन, सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया का संचालन किया जायेगा ।

6.2. सभी छात्र-छात्राओं का ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से Aadhar Authentication होते ही प्रत्येक छात्र का एक Unique ID Number मिलेगा। यह Unique ID प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वैध होगा ।

6.3. आवेदन का पंजीकरण, सत्यापन एवं छात्रवृत्ति भुगतान के क्रम में प्रत्येक लाभुक छात्र-छात्राओं को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाईल नं॰ पर SMS के द्वारा प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी दी जाएगी ।

7ण् उपर्युक्त कंडिका 1 के आलोक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु झारखण्ड राज्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 निम्नरूपेण गठित की जाती हैः-

i **झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 (अधिसूचना संख्या-2584, दिनांक-29.08.2022)**

ii **झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 (अधिसूचना संख्या-2585, दिनांक-29.08.2022)**

iii **झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 (अधिसूचना संख्या-2586, दिनांक-29.08.2022)**

8. इस योजना पर संकल्प संख्या-2101, दिनांक-08.09.2014 के अनुरूप दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर में बदलाव, जो अधिसूचना सं॰-2584, दिनांक-29.08.2022, अधिसूचना सं॰-2585, दिनांक-29.08.2022 एवं अधिसूचना सं॰-2586, दिनांक-29.08.2022 के आधार पर कुल अनुमानित व्यय प्रति वर्ष रू 841.00 करोड़ होगा जिसका बजट उपबन्ध निम्न प्रकार से विकलनीय होगाः-

8.1. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु

शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 97- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा I से VIII), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51S22501789970106 50 विकलनीय होगा ।

8.2. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - A9- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा I से VIII), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/ वजीफा के अन्तर्गत 51S222502796A9010650 एवं 51S222502277A9010650 विकलनीय होगा ।

8.3. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 89- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा I से VIII), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51S22503796890106 50 एवं 51S22503277890106 50 विकलनीय होगा ।

8.4. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - A1- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX से X), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51S222501789A1010650 विकलनीय होगा ।

8.5. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - AA- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX से X), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51S222502796AA010650 एवं 51S222502277AA010650 विकलनीय होगा ।

8.6. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 90- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX से X), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51S22503796900106 50 एवं 51S22503277900106 50 विकलनीय होगा।

8.7. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 86- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग 9 एवं 10), विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51C22250178986010650 विकलनीय होगा ।

8.8. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - A4- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा के अन्तर्गत 51C222502796A4010650 एवं 51C222502277A4010650 विकलनीय होगा।

8.9. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 06- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51S22250379606010650 एवं 51S22250327706010650 विकलनीय होगा ।

8.10. मांग संख्या - 51- अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष - 2225- अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा, उप शीर्ष - 06- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत 51C22250379606010650 एवं 51C22250327706010650 विकलनीय होगा ।

9. न्यायालय परिक्षेत्रः- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र राँची होगा ।

10. विभागीय संलेख ज्ञापांक-2526, दिनांक-24.08.2022 के क्रम में दिनांक-24.08.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-35 में सम्मिलित करते हुए इस पर स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 362-- 50